

Annexure-1

4

कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़ ।

आदेश क्रमांक: 22/184-99 दिनांक, चण्डीगढ़ 15-12-99

~~डी.सी. मॉडल स्कूल अम्बाला केन्द्र~~ को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से ~~दसवीं~~ स्तर की सम्बन्धता लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों पर जारी किया जाता है:-

1. विद्यालय को वर्ष 1999-2000 के लिए अस्थाई मान्यता प्रदान की जाती है ।
2. विद्यालय के प्रबन्धक आगामी वर्ष 2000-2001 में स्थाई मान्यता प्राप्त करेंगे अन्यथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र रद्द समझा जायेगा ।
3. हरियाणा विद्यालय शिक्षा एक्ट 1999 की धारा 4 की सभी शर्तों को पूरा करेगा तथा इसके तहत जो भी नियम बनेंगे विद्यालय उनकी पालना करेगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापिस लिया जा सकता है ।
4. विद्यालय समय समय पर जारी की जाने वाली विभाग की हिदायतों की पालना करेगा ।

प्रशान्त महापात्र  
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा,  
चण्डीगढ़ ।

पृ० क्रमांक: सम

दिनांक, चण्डीगढ़ 16-12-99

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी अम्बाला को उनके पत्र क्रमांक जी-2/99/1902 दिनांक 30.8.99 के संदर्भ में ।
2. मुख्याध्यापक, डी.सी. मॉडल स्कूल अम्बाला केन्द्र
3. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र, कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार, नई दिल्ली - 110 092.

D. C. Model High School  
Ambala Cantt.

Manager

Principal

अधीक्षक विद्यालय-1  
कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा,  
चण्डीगढ़ ।